उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-1
संख्या- 706/नौ-1-2023-03निर्वा0/2022
लखनऊः दिनांक 30 मार्च, 2023

अधिसूचना

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-2 सन् 1959) की धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, 17 नगर निगमों के 'महापौर' पद पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिला हेतु आरक्षित/आवंटित करने के लिए जन सामान्य से आपत्तियाँ प्राप्त करने की दृष्टि से नीचे दी गयी अनुसूची के अनुरूप एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

अनुसूची

क्रम संख्या	जनपद का नाम	नगर निगम का नाम	आरक्षण का वर्ग
1	2	3	4
1	आगरा	नगर निगम, आगरा	अनुसूचित जाति महिला
2	झांसी	नगर निगम, झांसी	अनुसूचित जाति
3	शाहजहाँपुर	नगर निगम, शाहजहाँपुर	पिछड़ा वर्ग महिला
4	फिरोजाबाद	नगर निगम, फिरोजाबाद	पिछड़ा वर्ग महिला
5	सहारनपुर	नगर निगम, सहारनपुर	पिछड़ा वर्ग
6	मेरठ	नगर निगम, मेरठ	पिछड़ा वर्ग
7	लखनऊ	नगर निगम, लखनऊ	महिला
8	कानपुर	नगर निगम, कानपुर	महिला
9	गाजियाबाद	नगर निगम, गाजियाबाद	महिला
10	वाराणसी	नगर निगम, वाराणसी	अनारक्षित
11	प्रयागराज	नगर निगम, प्रयागराज	अनारक्षित
12	अलीगढ़	नगर निगम, अलीगढ़	अनारक्षित
13	बरेली	नगर निगम,बरेली	अनारक्षित
14	मुरादाबाद	नगर निगम, मुरादाबाद	अनारक्षित
15	गोरखपुर	नगर निगम,गोरखपुर	अनारक्षित
16	अयोध्या	नगर निगम, अयोध्या	अनारक्षित
17	मथुरा, वृन्दावन	नगर निगम, मथुरा, वृन्दावन	अनारक्षित

2. उपर्युक्त के संबंध में प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित करते हुए लिखित आपत्तियाँ, यदि कोई हो, तो लिखित रूप में अथवा डाक के माध्यम से इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दिनांक 06.04.2023 को सायं 06:00 बजे तक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित की जा सकती है। केवल प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित तथा निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को प्राप्त व्यक्तिगत रूप से प्राप्त आपत्तियाँ अथवा डाक के माध्यम से प्राप्त आपत्तियों पर ही विचार किया जायेगा।

3. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट पी0आई0एल0 संख्या-878/2022 वैभव पाण्डेय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य व 92 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2022 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-128/2023, उ0प्र0 राज्य सरकार बनाम वैभव पाण्डेय व अन्य में पारित आदेश दिनांक 27.03.2023 के क्रम में नगर निगम के महापौर पद के संबंध में निर्गत अनन्तिम अधिसूचना संख्या-3813/9-1-2022-3निर्वाचन/2022, दिनांक 05.12. 2022 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

4. उक्त अधिसूचना उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों के अनुरूप है।

(अमृत अभिजात)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव,</u>

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 30 मार्च, 2023 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 20 प्रतियाँ शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव,</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, (पंचायत एवं स्थानीय निकाय), उ0प्र0, लखनऊ।

(2) निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्राप्त समस्त आपत्तियों को क्रमांकित एवं आपत्तियों के मुख्य बिन्दु को अंकित कराते हुए, सॉफ्ट कॉपी में दिनांक 07.04.2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(3) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उ0प्र0, लखनऊ को इस अधिसूचना की प्रति इस निदेश के साथ प्रेषित कि उसे प्रदेश के व्यापक प्रचार-प्रसार वाले कम से कम 01 दैनिक समाचार पत्र में तत्काल प्रकाशित कराकर उसकी प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(4) मण्डलायुक्त,आगरा/झांसी/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/गाजियाबाद/बरेली/ मुरादाबाद/ मथुरा/ अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़/सहारनपुर,उ0प्र0।

(5) जिलाधिकारी आगरा/झांसी/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/गाजियाबाद/बरेली/मुरादाबाद /मथुरा/अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़/सहारनपुर एवं शाहजहाँपुर, उ0प्र0 को इस अधिसूचना की प्रति इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना/आदेश के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।

(6) नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा/झांसी/वाराणसी/मेरठ/गोरखपुर/कानपुर/लखनऊ/प्रयागराज/गाजियाबाद/ बरेली/ मुरादाबाद/मथुरा/अयोध्या/फिरोजाबाद/अलीगढ़/सहारनपुर एवं शाहजहाँपुर, उ0प्र0 को इस अधिसूचना की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना/आदेश के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु कार्यालय के सूचना पट पर चस्पा करायें

(7) वेब मास्टर को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे इस अधिसूचना को विभागीय साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।